भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3665
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए

एनजीओ का विदेशी वित्तपोषण

†3665. कुमारी राम्या हरिदासः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सहित विभिन्न संगठनों द्वारा कुल कितनी विदेशी निधि प्राप्त की गई है;
(ख) क्या ऐसे संगठनों के क्रिया-कलाप और कार्यकरण की निगरानी और समीक्षा करने का कोई तंत्र है;
(ग) यदि हां, तो उक्त समीक्षा का ब्यौरा क्या है और उक्त समीक्षा के क्या निष्कर्ष रहे हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और
(घ) इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान (एफसी) निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	प्राप्त विदेशी अंशदान (करोड़ रु. में)
2015-16	17803.21
2016-17	15343.15
2017-18	16894.37

(ख): जी, हां। एफसीआरए विंग की निगरानी इकाई विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग की निगरानी करती है।

(ग) और (घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान 14,800 से अधिक संगठनों का पंजीकरण रद्द किया गया है क्योंकि उन्होंने एफसीआरए, 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। ऐसे संगठनों का ब्यौरा एफसीआरए के पोर्टल www.fcraonline.nic.in पर उपलब्ध है।

*****